

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

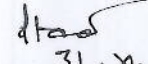
क्रमांक:- एफ.2(ग)पीएफ(पी-173)/अलेसे-1/

दिनांक:- 5-11-14

संशोधन आदेश

विभागीय आदेश संख्या 246/2008-09 क्रमांक एफ.2(ग)(एसीपी)/अलेसे-1/ 26159-161 दिनांक 06.03.2009 के द्वारा श्री पवन कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी को कनिष्ठ लेखाकार पद का तृतीय एसीपी पीबी-2 9300-34800 पे बैंड एवं ग्रेड पे 4800/- में दिनांक 09.10.2007 से स्वीकृत किया गया था। विभागीय आदेश एफ.1 (सी) 860-ए/जांच/ 8082-88 दिनांक 01.03.2001 (वर्ष 2000-01) के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया था। इसका प्रभाव पूर्व में स्वीकृत एसीपी में नहीं डाला गया। इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन (दिनांक 16.09.14) के अनुसार श्री गुप्ता को स्वीकृत तृतीय एसीपी में दण्ड का प्रभाव डाला जाना चाहिये था।

अतः श्री गुप्ता को तृतीय एसीपी पीबी-2 9300-34800 पे बैंड एवं ग्रेड पे 4800/- में दिनांक 09.10.2007 के स्थान पर 09.10.2008 से एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है एवं अन्य शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेंगी।

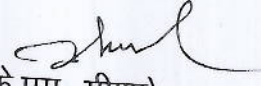

31.10.2014
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)पीएफ(पी-173)/अलेसे-1/ 5969-73

दिनांक:- 5-11-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रबन्धक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मु0 कार्यालय हाजा।
- 3 श्री पवन कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर।
- 4 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 5 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)